

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 387/2020 (धारा 14 सिक्क्योरिटाईजेशन)

एच डी एफ सी लि., पंजीकृत कार्यालय रेमन हाउस, एच टी पारेख मार्ग, 169, बैकवे रिक्लेमेयशन  
चर्चगेट, मुम्बई 400020, एवं शाखा कार्यालय सी-25, भगवान दास रोड, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने,  
सी स्कीम-जयपुर। जरिये प्राधिकृत अधिकारी

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

- श्री राजकुमार सावलानी पुत्र श्री दयाल दास सावलानी  
पता :- 545, पत्रकार कालोनी, न्यू सांगानेर रोड, हीरा पथ के सामने, जयपुर।  
एवं प्लेट नम्बर 2, प्लॉट नम्बर 4, विजय अपार्टमेन्ट, युधिष्ठिर मार्ग, रघुवंश गेस्ट हाउस के सामने,  
सी-स्कीम जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation  
and reconstruction of financial assets and  
enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :-

- श्री भवानी सिंह नरुका अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।


आदेश

दिनांक: 05.10.2021

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री राजकुमार सावलानी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 545 (कार्नर) पत्रकार कालोनी, जयपुर क्षेत्रफल 380.45 वर्ग मीटर को बन्धक कर दिनांक 24.10.2011 को 34,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.06.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जस्ट्रेट  
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 34,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार, ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 36,36,605/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 04.06.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री राजकुमार सावलानी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 545 (कार्नेर) पत्रकार कालोनी, जयपुर क्षेत्रफल 380.45 वर्ग मीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरय कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर साखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 05.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

7/10/21  
(अन्तर सिंह नेवस)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर